रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] दिल्ली, सोमवार, जून 20, 2016/ज्येष्ठ 30, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 69
No. 115] DELHI, MONDAY, JUNE 20, 2016/JYAISTHA 30, 1938 [N.C.T.D. No. 69

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

(निदेशालय स्थानीय निकाय)

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जून, 2016

फा.सं. 5(189)/एडी/एलबी/2016/5396–5403.–जबकि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 22.03.2016 के का.आ.सं. 119 (अ) भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा "दिल्ली के लिए एक समान भवन उपविधियां (यूबीबीएल)" अधिसूचित की है।

जबकि उसी अधिसूचना की उपविधि 1.0 के अनुसार "दिल्ली के लिए एक समान भवन उपविधियां (यूबीबीएल)" समुचित सरकार/प्राधिकरण/निकाय द्वारा सरकारी राजपत्र में नियत अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

1. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 349क की उप–धारा (1)के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संबधित निकायों अर्थात पूर्व दिल्ली नगर निगम, उत्तर दिल्ली नगर निगम, एवं दक्षिण दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधनों/आशोधनों सहित इन उपविधियों को अपनाती और लागू करती हैः–

   क. खण्ड 9.2.5 में विद्यमान शब्दों " दूरसंचार अवसंरचना के लिए निम्न प्रावधान लागू होंगें "के पश्चात् "इत्यादि" शब्द जोड़ा जायेगा।

   ख. खण्ड (ख) में शब्द "/संचार टावर" हटाया जायेगा।

   ग. 9.2.5 के विद्यमान खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्डों को शामिल किया जायेगा,

"(ग.) आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना कोई भी सैल टावर लगाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी अनुमति तकनीकी एवं सुरक्षा मापदंडों के अन्तर्गत तथा इसके अलावा कानून द्वारा निर्धारित किसी अन्य दायित्व के अनुसार होगी।

(घ) पहले से विद्यमान कर संबधी प्रावधानों के होते हुए भी, निगम, दिल्ली में किसी भूमि की दीवार पर या किसी वाहन पर या किसी अन्य रूप में प्रदर्शन के लिए किसी निर्माण, प्रदर्शनी लगाने, होर्डिंग, फ्रेम, खम्बा या ढांचा आदि के विषय में दिये जाने वाले शुल्क की मात्रा/प्रभार निश्चित कर सकती है।

(ड़) दिल्ली नगर निगम अधिनियम में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना या पहले दी गयी अनुमति के उल्लघंन में दिल्ली में किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भूमि भवन की दीवार पर या किसी वाहन पर होर्डिंग, फ्रेम, खम्बा, या ढांचा लगाता है या किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी रूप में प्रदर्शित करता है तो वह आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित क्षतिपूर्ति प्रभारों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।"

2. ये उप–विधियां इस अधिसूचना की तारीख से लागू होंगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

रमेश नेगी, प्रधान सचिव

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

(DIRECTORATE OF LOCAL BODIES)

NOTIFICATION

Delhi the 17th June, 2016

No.F.5(189)/AD/LB/2016/5396-5403.—Whereas, Delhi Development Authority has notified "Unified Building Bye Laws (UBBL) for Delhi 2016" vide notification in the Gazette of India vide S.O. No. 1191(E) dated 22.03.2016.

Whereas, as per bye law 1.0 of the same notification, "Unified Building Bye Laws (UBBL) for Delhi 2016" shall come into force on such date as the appropriate Government/Authority/Body, by notification in the Official Gazette, appoint.

1. In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 349A of The Delhi Municipal Corporation Act, 1957, the Government of National Capital Territory of Delhi, adopts and makes these Bye Laws to be applicable to the area under jurisdiction of the concerned local bodies i.e. East Delhi Municipal Corporation, North Delhi Municipal Corporation & South Delhi Municipal Corporation with following amendments/ modifications:-
   - A. In clause 9.2.5 after the existing words "Following provisions shall apply for telecommunication infrastructure", the word "etc." shall be added.
   - B. In clause (b), the works "/communication tower" be omitted.
   - C. The following clauses shall be inserted after existing clause (b) of Bye-law 9.2.5 namely:

     "(c) No cell tower shall be allowed except with written permission of Commissioner, subject to technical and safety parameters and further subject to any other obligation imposed by any law.

     (d) Notwithstanding the provisions already made in respect of tax, a Corporation may fix a scale of fee/charge to be paid in respect of permission for erection, exhibition, fixation, hoarding, frame, post or structure etc. upon or over any land building wall or upon any vehicle or shall be displayed in any manner whatsoever in any place within Delhi.

     (e) Notwithstanding anything contained in the DMC Act, whoever erects exhibits, fixes or retains hoarding, frame, post or structure upon or over any land, building, wall or upon any vehicle or displayed in any manner whatsoever in any public place within Delhi without the written permission of the Commissioner or in violation of any permission already granted shall be liable for payment of damage charges as may be fixed by the Commissioner".
2. These bye-laws shall come into force with effect from the date of this notification.

This issues with the approval of Competent Authority.

RAMESH NEGI, Pr. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.